राजस्थान–सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, डूंगरपुर (राज.)

(पीठासीन अधिकारी श्री चेतन देवड़ा आई.ए.एस)

प्रकरण सं. 01/2019 दायर दिनांकः–09.01.2019

फैसल दिनांकः–27.03.2019

श्री सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद अधिकारी कार्यालय डूंगरपुर (राज0)

प्रार्थी

बनाम

श्री मोतीलाल कलाल, उचित मूल्य दुकानदार सेन्टर माण्डवा खापरडा–II तहसील व जिला डूंगरपुर (राज0)

विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 ए के अन्तर्गत

– : निर्णय : –

यह प्रार्थना–पत्र प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय डूंगरपुर द्वारा विरूद्ध प्रार्थीके इस आशय के प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी ने अपने उचित मूल्य दूकान माण्डवा खापरड़ा–II पर स्टॉक से अधिक 616 लीटर केरोसीन तेल के अवैध भण्डारण किये जाने से जप्त कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के तहत जप्त कर राजसात करने हेतु पेश किया हैं।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी एवं जिला रसद अधिकारी द्वारा दिनांक 19.02.2018 को उचित मूल्य की दूकान माण्डवा खापरडा–II का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। उचित मूल्य की दूकान माण्डवा खापरडा–II के निरीक्षण किये जाने पर पोश मशीन में गेहूँ का स्टॉक 104.45 कि.ग्रा. दर्ज था, जबकि गोदाम में मौके पर 99 क्विंटल गेहूँ पाया गया। स्टॉक के मुकाबले 5.45 क्विंटल गेहूँ कम पाया गया हैं। पोश मशीन में केरोसीन का स्टॉक 1024 लीटर दर्ज था, किन्तु वक्त जांच मौके पर 1640 लीटर केरोसीन पाया गया। इस प्रकार मौके पर 616 लीटर केरोसीन तेल का अधिक स्टॉक पाया गया। उचित मूल्य दूकान माण्डवा खापरडा–II के डीलर द्वारा बदनियति से केरोसीन तेल 616 लीटर का उपभोक्ताओं को वितरण बताकर केरोसीन नहीं दिया जाना पाया गया। उक्त अवैद्य भण्डारित 616 लीटर केरोसनी को जप्त सरकार किया जाकर पास के राशन डीलर श्री गटूलाल पिता भगवानलाल उचित मूल्य दूकान माण्डवा खापरडा–I को सुपूर्द किया गया। उक्त उचित मूल्य दूकान माण्डवा खापरडा–II पर मूल्य सूची का संधारण नहीं पाया गया। प्रार्थी ने उपभोक्ता को केरोसीन का वितरण बताकर केरोसनी वितरण नहीं करना दुषित मानसिकता से 616 लीटर केरोसीन तेल का अवैद्य भण्डारित करने से प्रार्थी ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजसात करने का अनुरोध किया हैं।

Scanned by CamScanner

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थी का नोटिस बाद तामिल प्राप्त होने के उपरान्त भी प्रार्थी बावजूद सूचना के नियम पेशी दिनांक को हाजिर नहीं हुआ अथवा न हीं उनकी ओर से पैरवी हेतु अभिभाषक का वकालतनामा पेश हुआ हैं। प्रार्थीगैर हाजिर होने से उनके विरूद्ध दिनांक 27.02.2019 को एकतरफा कार्यवाही करने के आदेश दिये गये।

प्ररकण में प्रार्थी विभागीय पैरोकार की एकतरफा बहस समायत की गई। प्रार्थी विभागीय पैरोकार ने बहस में प्रार्थना–पत्र के तथ्यों की पुनरावृत्ति कर जप्तशुदा 616 लीटर केरोसीन मय ड्रम को राजसात करने का अनुरोध किया।

हमारे द्वारा प्रार्थी विभागीय पैरोकार की एकतरफा बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अध्ययन किया गया। पत्रावली के अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रार्थी उचित मूल्य की दूकान माण्डवा खापरडा–ा के पोश मशीन के स्टॉक 1020 लीटर केरोसीन के मुकाबले 1640 लीटर केरोसीन पाया गया जो 616 लीटर अधिक हैं। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा उपभोक्ताओं के नियमानुसार केरोसनी का वितरण नहीं किया गया हैं। प्रार्थी का उक्त कृत्य नियम विरूद्ध होकर केरोसनी की कालाबाजारी करने की मानसिकता को दर्शाता है। प्रार्थीका उचित नूल्य की दूकान में 616 लीटर केरोसनी स्टॉक से अधिक पाया जाना राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 की शर्त संख्या 5, 8, 11 व 17–ग का स्पष्ट उल्लंघन किया हैं। प्रकरण में प्रार्थी स्वयं हाजिर नहीं हुआ है तथा न हीं पैरवी हेतु उनके द्वारा किसी अभिभाषक को नियुक्त किया है। उक्त स्थिति में जप्तशुदा 616 लीटर केरोसीन तेल व प्रयुक्त ड्रमों को राजसात करना उचित होगा।

अतः उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। 3 लोहे के ड्रम में 616 लीटर केरोसीन तेल का राजसात करने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी डूंगरपुर द्वारा जप्त किये गये 616 लीटर केरोसीन तेल मय ड्रम सुपूर्दकर्ता से प्राप्त कर नजदीकी उचित मूल्य की दूकान के अधिकृत विक्रेता के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर पर वितरण कराकर उससे प्राप्त राशि सक्षम न्यायालय के निर्णय तक अपने कार्यालय में अमानत के रूप में जमा रखी जावे। जिला रसद अधिकारी डूंगरपुर उक्त केरोसनी तेल का उपरोक्तानुसार निस्तारण करावें। पालना हेतु निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी डूंगरपुर को भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 27.03.201 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद नंबर से कम होकर फैसल में शुमार हो।

27/3/19

(चेतन देवड़ा)
जिला कलक्टर
डूंगरपुर

Scanned by CamScanner